<u>नागरिक अधिकार पत्र</u>
साक्षरता

हमारा उद्देश्य

साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय का उद्देश्य 15–35 आयु वर्ग के निरक्षर भाई–बहनों को साक्षर बनाने तथा नवसाक्षरों के शैक्षिक कौशल को बनाये रखना है। हमारा यह भी उद्देश्य है कि नवसाक्षर भाई बहनों को व्यवसायिक कौशल उन्नयन के लिए समुचित प्रशिक्षण देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए। इसी प्रकार औपचारिक शिक्षा से वंचित रहे बच्चों को (6–14 आयु वर्ग) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाना भी हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए समुचित पाठ्यसामग्री एवं अन्य साधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

हमारी वचनबद्धता

1. **गरीबों के हितों की रक्षा :–** राज्य के गरीब, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना एवं उनके जीवन स्तर की गुणात्मकता के लिए अनवरत प्रयास करना।
2. **महिला सबलीकरण :–** महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना एवं उनका सबलीकरण करना।
3. **गुणात्मक अभिवृद्धि :–** निरक्षरों को साक्षर बनाने के साथ–साथ नवसाक्षरों के शैक्षिक एवं व्यवसायिक उन्नयन में भागीदारी निभाना।
4. **पारदर्शिता :–** जिला साक्षरता समितियों द्वारा एवं इस विभाग द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा प्रगति की सीधी जानकारी उपलब्ध करना।

साक्षरता प्रसार की कार्य प्रणाली

प्रत्येक निरक्षर व्यक्ति को साक्षर होने का अधिकार है। इस हेतु निरक्षर एवं शिक्षित व्यक्ति के मध्य सेतु का कार्य कर विभाग द्वारा प्रतिबद्धता निर्वाहित की जायेगी।

जनभागीदारी

साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के सफल संचालन के लिए ग्राम स्तर पर ग्रामीण साक्षरता समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों को भी यह अधिकार है कि वे इन कार्यक्रमों के संचालन, प्रबोधन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य पूरा करें।

सूचना का अधिकार

1. वार्ड/गांव में कितने व्यक्ति नवसाक्षर बनाये गये यह जानने का सभी को अधिकार है।
2. जिला साक्षरता समितियां साक्षरता अभियान पर कितना पैसा खर्च करती हैं यह जानकारी कोई भी व्यक्ति ले सकता है।
3. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर जो सामग्री वितरित की गयी है यह जानकारी अभिभावकों एवं ग्रामवासियों को उपलब्ध कराई जायेगी।
4. उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा केन्द्रों पर खेलकूद, मनोरंजन एवं पुस्तकों आदि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
5. साक्षरता अभियान के मूल्यांकन परिणामों की कोई भी व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर सकता है।
6. कक्षा 5 उत्तीर्ण करने वाले बालक–बालिकाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र/साक्षरता/उत्तर साक्षरता/सतत शिक्षा केन्द्रों की जानकारी

1. 5–10 निरक्षर व्यक्तियों के लिए एक साक्षरता केन्द्र होता है।
2. 50–100 नवसाक्षरों पर एक उत्तर साक्षरता केन्द्र बनाया जाता है।
3. 1500–2000 की आबादी पर एक सतत शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जाती है।
4. 20 बच्चों के लिए एक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र। रेगिस्तानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 10 बच्चों पर भी केन्द्र चलाया जा सकता है।

सामग्री

1. निरक्षरों के लिए जिला साक्षरता समितियों की ओर से पुस्तकें, स्लेट, पैंसिल, कॉपी, बैठने की दरी पट्टी, फर्श, रबड़ आदि सामग्री दी जाती है।

2. उत्तर साक्षरता केन्द्र पर नवसाक्षरों के लिए पुस्तकें, दैनिक अखबार, जिला साक्षरता समिति का बुलेटिन, बक्सा, दरी, चार्टस, खेलकूद की सामग्री एवं विकास योजनाओं की जानकारी की पुस्तिकाएं दी जाती हैं।
3. सतत शिक्षा केन्द्रों पर अलमारी, बक्सा, फर्नीचर, ब्लेक बोर्ड, लगभग 250 पुस्तकें, विभिन्न नक्शे, तस्वीरें, खेलकूद और मनोरंजन की सामग्री, अभिलेख संधारण के रजिस्टर एवं अन्य सामग्री स्थानीय आवश्यकता के अनुसार।
4. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर ब्लेक बोर्ड, स्लेट, स्कूल बैग, अभ्यास पुस्तकाएं, पाठ्य सामग्री, चार्टस, मानचित्र एवं अन्य सामग्री।

अनौपचारिक शिक्षा/उत्तर साक्षरता/सतत शिक्षा केन्द्रों की गतिविधियां

<u>सतत शिक्षा केन्द्र</u>

1. आम व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हेतु विभिन्न विकास योजनाओं एवं साक्षरता कार्यक्रमों के आवेदन पत्र उपलब्ध करवाना जैसे विधवा पेंशन, विकलांग सहायता, प्रसूति सहायता, अनुसूचित विकास निगम से संबंधित आवेदन पत्र, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के आवेदन पत्र, मूल निवास का आवेदन पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नियोजन पंजीयन आवेदन पत्र, आदि।
2. पुस्तकालय, वाचनालय संचालित करना।
3. विभिन्न व्यवसायिक कौशल के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।
4. जिलों की विकास योजनाओं की सूचना देना।
5. महिला चेतना के लिए कार्यक्रम करना।

<u>अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र</u>

6. नियमित विद्यालयों से वंचित बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करना।

सम्बन्धित संस्था अधिकारी

1. **राज्य स्तर** – (1) विकास आयुक्त (2) सचिव, पंचायती राज (3) निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा
2. **जिला स्तर** – (1) जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति (2) सचिव, जिला साक्षरता समिति (3) जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी।
3. **पंचायत समिति स्तर** – (1) विकास अधिकारी (2) ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (3) परियोजना अधिकारी अनौपचारिक शिक्षा
4. **ग्राम स्तर** – (1) सरपंच (2) गांव के सर्वोच्च विद्यालय का संस्था प्रधान (3) पर्यवेक्षक, अनौपचारिक शिक्षा

अवधि

1. 200 घंटे में साक्षर बनाया जाता है यह अवधि लगभग 6 माह की होती है।
2. नवसाक्षर कौशल उन्नयन की अवधि लगभग 1 वर्ष।
3. समतुल्य शिक्षा कार्यक्रम एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम – प्रतिदिन 4 घंटे का समय।
4. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र पर प्रवेश लेने वाले बच्चों को कक्षा 5 उत्तीर्ण करने तक अथवा 14 वर्ष की आयु तक पढ़ाया जाता है।

साक्षरता/अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा कैसे प्राप्त करें

1. यदि कोई व्यक्ति साक्षर बनना चाहता है तो उसे ग्राम सरपंच से सम्पर्क करना चाहिए। सरपंच के निर्देश पर ग्राम के सर्वोच्च विद्यालय का संस्था प्रधान पढ़ाने हेतु स्वयं सेवक एवं पुस्तक उपलब्ध करायेगा।
2. ग्राम/वार्ड सभा की मांग पर परियोजना अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा) बच्चों के पढ़ने के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना करेगा।
3. ग्राम/वार्ड सभा की मांग पर सतत शिक्षा केन्द्र/उप सतत शिक्षा केन्द्र की स्थापना विकास अधिकारी करेगा।

प्रेरक/अनुदेशक कैसे बनें

1.	पात्रता	स्थानीय वार्ड का निवासी होना चाहिए
2.	योग्यता	न्यूनतम सैकण्ड्री उत्तीर्ण/महिलाओं के मामले में आठवीं उत्तीर्ण की छूट दी जा सकती है।
3.	प्राथमिकता	महिला प्रत्याशियों को प्राथमिकता
4.	आवेदन कहां करें	सम्बन्धित सरपंच को

5.	चयन प्रक्रिया	ग्राम पंचायत स्तर पर एक चयन समिति है, जो वार्ड सभा की अनुशंषा पर एवं निर्धारित वरीयता एवं परख प्रक्रिया के आधार पर चयन करेगी।
6.	चयन प्रक्रिया के संबंध में शिकायत किसे करें	जिला कलक्टर को
7.	किसी प्रेरक, अनुदेशक को हटाया जा सकता है	ग्राम वार्ड सभा द्वारा पर्यवेक्षक अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर

देखभाल कौन करेगा

अनौपचारिक शिक्षा	ग्राम स्तर पंचायत समिति जिला स्तर • पर्यवेक्षक/वार्ड पंच/सरपंच/स्थानीय प्रधानाध्यापक परियोजना अधिकारी अनौ. शिक्षा • जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक, अनौपचारिक शिक्षा
साक्षरता/सतत शिक्षा कार्यक्रम	ग्राम स्तर • उच्चतर विद्यालय का संस्था प्रधान • नोडल प्रेरक (नोडल–सतत शिक्षा केन्द्र) • वार्ड पंच/सरपंच
	पंचायत समिति स्तर • ब्लाक शिक्षा अधिकारी/परियोजना अधिकारी (अनौ. शिक्षा) समन्वयक (साक्षरता) विकास अधिकारी
	जिला स्तर • जिला कलक्टर, जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी
	राज्य स्तर • अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता तथा सतत शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था एवं कार्यक्रम की क्रियान्विति, समीक्षा एवं शिकायतों के निस्तारण का कार्य किया जाएगा। पंचायती राज मन्त्री, विकास आयुक्त, सचिव, निदेशक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा।

सामान्य कार्यविधियों के लिए मानक

क्रसं.	*कार्य का विवरण*	*अधिकृत संस्था व्यक्ति*	*काम में लगने वाला समय कार्य दिवसों में*	*उच्चाधिकारी जिनसे सम्पर्क कर सकते हैं*	*अधिकतम समय निस्तारण हेतु*
	अनौपचारिक शिक्षा				
1.	बच्चों को वितरित की गई निःशुल्क सामग्री की जानकारी प्राप्त करना	अनुदेशक अनौ. शिक्षा	1 दिन	परियोजना अधिकारी	7 दिवस
2.	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र से कक्षा पांच उत्तीर्ण करने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करना	अनुदेशक अनौ. शिक्षा	1 दिन	परियोजना अधिकारी	7 दिवस
3.	1 कि.मी. में किसी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था नहीं होने पर लगभग 20 बच्चों के लिएअनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलना	वार्ड सभा के प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन करने पर संबंधित पंचायत समिति का परियोजना अधिकारी	3 माह	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी	1 माह
	उत्तर साक्षरता/सतत शिक्षा कार्य{म				
1.	निरक्षरों के लिए साक्षरता केन्द्र खोलना।	संबंधित ग्राम के उच्च विद्यालय का प्रधानाध्यापक	3 दिवस	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी	15 दिवस

2.	साक्षरता अभियान में कुल व्यय की गई राशि की जानकारी प्राप्त करना।	सचिव, जिला साक्षरता समिति	3 दिवस	जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला साक्षरता समिति	15 दिवस
3.	सतत शिक्षा केन्द्र पर उपलब्ध कराई गई सामग्री की जानकारी	प्रभारी उत्तर साक्षरता / सतत शिक्षा केन्द्र	1 दिवस	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी	7 दिवस
4.	मतदाता सूची, जमाबन्दी, गरीबी की सीमा रेखा से नीचे की सूची राशन कार्ड धारियों की सूची आदि का अवलोकन	प्रभारी उत्तर साक्षरता / सतत शिक्षा केन्द्र	3 दिवस	जिला कलक्टर	7 दिवस
5.	विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के आवेदन पत्र प्राप्त करना	प्रभारी उत्तर साक्षरता / सतत शिक्षा केन्द्र	7 दिवस	जिला कलक्टर	7 दिवस

नोट : यदि उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने में किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई आये तो राज्य स्तर पर निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान गोपीनाथ मार्ग, जयपुर (फोन : 378601) से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र राज्य स्तर पर

क्र.सं.	विभाग का नाम	दूरभाष नं.
1.	मंत्री, पंचायती राज विभाग	380125
2.	सचिव, पंचायती राज विभाग	380012
3.	विकास आयुक्त	383061
4.	निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा	378601,378602,363191

जिला स्तर पर

क्र. सं.	जिला	कोड नं.	दूरभाष जिला कलेक्टर	दूरभाष नं. जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी
1.	अजमेर	0145	627421	620257
2.	अलवर	0144	337565	330792
3.	बारां	07453	40002	31579,30554
4.	बांसवाड़ा	02962	30001	41339,42874
5.	बाड़मेर	02982	20003	20736
6.	भरतपुर	05644	23086	22701
7.	भीलवाडा	01482	27477	20834
8.	बीकानेर	0151	200194	204703,544173
9.	बूंदी	0747	33000	22312
10.	चित्तोड़गढ़	01472	40001	31161
11.	चूरू	01562	50806	53826,50928
12.	दौसा	01427	20533	30919,31161
13.	डूंगरपुर	02964	31002	32840
14.	धौलपुर	05642	20254	20874
15.	गंगानगर	0154	42001	423904
16.	जयपुर	0141	202626	203640,304058
17.	झालावाड़	07432	30403	32574
18.	जैसलमेर	02992	52201	52693
19.	जालौर	02973	32207	32579,32213
20.	झुंझुनूं	01592	32333	32859
21.	जोधपुर	0291	544700	510030
22.	कोटा	0744	323883	322044
23.	नागौर	01582	43305	22498
24.	पाली	02932	22575	23995
25.	राजसमंद	02952	20536	22520,21756

26.	सवाईमाधोपुर	07462	20444	20575
27.	सीकर	01572	50005	51246
28.	सिरोही	02972	31187	30705
29.	टोंक	01432	43026	42610
30.	उदयपुर	0294	410834	413221
31.	हनुमानगढ़	01552	50001	51193
32.	करौली	07464	20100	20205,20730

——